

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi


Chamber,
D.O. No. 09/D.J./2022
Dated: February 15, 2022

Dear Arya,

In the light of certain facts as given in an application dated 14.02.2022 moved by Sri Santosh Kumar Doharey, ADGC (Crl.) deputed in your court, you are requested and advised as well, not to pronounce any judgment in following cases, till further order.

1. S.T. No. 153/2018, State Vs. Sunil Raikwar, U/s. 41, 411, 414 IPC, P.S. Prem Nagar. (Fixed for judgment on 16.02.2022)
2. S.T. No. 134/2014, State Vs. Udai Singh, U/s. 60 Excise Act & 272 IPC, P.S. Prem Nagar. (Fixed for judgment on 18.02.2022)

Sincerely Yours


(Jyotsna Sharma)

Sri Vimal Prakash Arya,
ADJ/FTC (14th F.C),
Jhansi.

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi.

Chamber,
D.O. No. 12/D.J./2022
Dated: February 24, 2022

Dear Shri Arya,

1. Received an 'open' covering letter from you at 05.15 PM on 23.02.2022, in response to my D.O. letter No. 10/D.J. dated 22.02.2022.
2. Alongwith your reply a list (in tabular form) bearing signature of clerk deputed in your court has been annexed.
3. Ordinarily such kind of correspondence between the District Judge and the other officers of the Judgeship is of confidential nature. I believe that you are well aware of confidentiality of such correspondence done through D.Os. given the fact that you belong to a senior cadre of officers.
4. Through my D.O. No. 10/D.J./22.02.2022, I requested you to furnish certain information, for administrative reasons well known to you. However, it appears that you instead of collecting information yourself and then sending it to me under your own signature, chose to direct your subordinate class-III employee and send the requisite information under the signature of concerned staff! Thereby you broke all the norms of judicial discipline.
5. It may also be noted that you, for some reasons better known to yourself, withheld certain important information which I had called for under point number 4 and 5 of the D.O. letter in question.
6. You are directed and expected to send complete information in response to my D.O. letter referred to above, complete in all respects on the subject **under your own signature, in a sealed cover as per established practice.**
7. Reply by tomorrow i.e. 25.02.2022.

Sincerely yours,


(Jyotsna Sharma)

26.2.22

Shri Vimal Prakash Arya,
A.D.J./F.T.C. (14th F.C.)
Jhansi.

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झांसी ।

विषय

: अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं० 12/ D. J. / 2022 दिनांकित 24. 02. 2022 के सम्बन्ध में ।

महोदया

उपरोक्त पत्रांक की आख्या प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्य पर प्रकाश डालना चाहता हूँ ।

1. यह कि आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त अर्द्ध शासकीय पत्रांक दिनांक 24. 02. 2022 को न्यायालय कार्यालय के उपरान्त समय लगभग 17:40 बजे आशुलिपिक श्री धनंजय पाल को प्राप्त कराया गया जिन्होंने समय लगभग 17:50 उपरोक्त पत्रांक को मेरे आवास पर पहुँचाया ।

2. यह कि अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं०- 10/ D. J. / 2022 दिनांकित 22. 02. 2022 के द्वारा जो आख्या तलब की गयी थी वह एक लिपिकीय कार्य था, जिसे लिपिक द्वारा ही निष्पादित किया जा सकता है । किसी पत्रावली में अभियुक्त / वादी मुकदमा के अधिवक्ता कौन हैं, पत्रावली किस स्तर पर है और पत्रावली में नियत तिथि कौन सी है तथा अभियुक्त को न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में उपस्थित होने के बावत धारा 437A दं०प्र०सं० का आदेश पारित किया गया है, और यदि हाँ तो आदेश की तिथि और आदेश के अनुपालन में बन्धपत्र प्रस्तुत करने की तिथि का विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व लिपिकीय श्रेणी के कार्य में निहित रहता है ।

3. यद्यपि यह एक लिपिकीय कार्य था, फिर भी उक्त पत्रांक के अनुपालन में मेरे द्वारा अपने कार्यालय लिपिक से आख्या तैयार करायी गयी और अपने पत्र के माध्यम से नियत समय में आख्या प्रस्तुत की गयी ।

3. यह कि आख्या शील बन्द लिफाफा में ही प्रेषित की जाए, इस बावत कोई निर्देश नहीं था ।
लिपिक द्वारा तैयार आख्या मेरे द्वारा अग्रसारित कर पुनः सादर प्रेषित ।

भवदीय

25. 02. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक: 25. 02. 2022

प्रेषक:-

दिनांक: 14.02.2022

सन्तोष कुमार दोहरे,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
पदस्थ-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी
मो0: 9415502206

प्रतिष्ठा में,
सम्माननीया सत्र न्यायाधीश महोदया,
झांसी।

नियत सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कर्तव्य निर्णय एवं बहस में नियत पत्रावलियों माननीय सत्र न्यायालय या अन्य अपर सत्र न्यायालय में स्थानान्तरण दिखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

निवेदन है कि मैं सन्तोष कुमार दोहरे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11 झांसी के पद पर कार्यरत हूँ। इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके सम्बन्ध में कई अधिवक्ताओं में उनकी शिकायत महोदया के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में की है। मैंने भी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टाचार की शिकायत महोदया सहित मा0 रजिस्ट्रार जनरल, मा0 प्रशासनिक न्यायमूर्ति, मा0 विशेष अधिकारी बिजीलेन्स मा0 उच्च इलाहाबाद को प्रेषित की। श्री विमल प्रकाश आर्या एक भ्रष्ट रिश्तबाज अधिकारी है, उन्हें जिन सत्र परीक्षणों में रिश्त मिल जाती है, उन मुकदमों के अभियुक्तों को वह दोषमुक्त कर देते हैं और जिन सत्र परीक्षणों में उन्हें रिश्त नहीं मिलती तो वह पूर्ण रूप से पक्षद्रोही मुकदमों में भी अभियुक्तगण को कठोर सजा से दण्डित करने के आदि हो चुके हैं। उनके न्यायालय से महत्वपूर्ण सत्र परीक्षण निर्णय एवं बहस हेतु नियत पत्रावलियों वापिस मा0 सत्र न्यायालय या अन्य मा0 अपर सत्र न्यायालयों में भेजा आना न्यायहित में है। उक्त सत्र परीक्षणों की सूची निम्न है:-

क्र0	एस0टी0 न0	नाम पक्षकार	धारा	थाना	नियत दिनांक
1-	153/18	राज्य बनाम सुनील रायकवार	41,411,414 आई0पी0सी0	प्रेमनगर	16.02.2022 निर्णय हेतु
2-	134/14	राज्य बनाम उदय सिंह	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई0पी0सी0	प्रेमनगर	18.02.2022 निर्णय हेतु
3-	207/18	राज्य बनाम नन्दु उर्फ नन्दकिशोर	307 आई0पी0सी0	गरौठा	23.02.2022 बहस हेतु
4-	204/18	राज्य बनाम नन्दु उर्फ नन्दकिशोर	3/25 जार्ज एक्ट	गरौठा	23.02.2022 बहस हेतु
5-	207/16	राज्य बनाम हरमोविन्द	308 आई0पी0सी0	लहचूरा	23.02.2022 बहस हेतु
6-	226/02	राज्य बनाम नासिर आदि	307 आई0पी0सी0	कोतवाली	23.02.2022 बहस हेतु
7-	216/17	राज्य बनाम संजू आदि	304 आई0पी0सी0	पूँछ	21.02.2022 बहस हेतु
8-	214/13	गन्धर्व सिंह	306 आई0पी0सी0	चिरगांव	22.02.2022 बहस हेतु

महोदया, उक्त प्रकरण निर्णय एवं अंतिम बहस में नियत है। पीठासीन अधिकारी मुकदमों पर निगाह रखे हुये हैं जिनमें पैसे मिल जायेंगे उन्हें छोड़ देंगे जिसमें नहीं मिलेगे उनमें सजा कर देंगे। न्याय व साम्यता के हित में उक्त सत्र परीक्षण अपनी प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर मा0 सत्र न्यायालय/अन्य मा0 अपर सत्र न्यायालयों में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें। अति कृपा होगी।

भवदीय
14/02/2022

सन्तोष कुमार दोहरे,

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

पदस्थ-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी

मो0: 9415502206

सन्तोष कुमार दोहरे

A.D.G.C. (C1.)

न्यायालय A.S.J./FTC-II

झांसी (3080)

मो-9415502206

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi.

Chamber,
D.O. No. 11/D.J./2022
Dated: February 22, 2022

Dear Shri Arya,

- Shri Santosh Kumar Dohrey, the then A.D.G.C.(CrI.) deputed in your court has given a list of 60 cases from Serial No. 1 to 60 as shown in the copy of the complaint dated 11.02.2022 annexed herewith.
- The A.D.G.C. (CrI.), addressing to the administrative side of the authority of the District Judge, has requested for transfer of all the 60 cases which, according to him should be transferred from your court to some other court for administrative reasons in the background of allegations imputed by him against you.
- You are, therefore, requested to furnish following particulars concerning cases depicted from Serial No. 1 to 60 in the complaint concerned.
 1. The name of the defence counsel who is/are presently representing the accused persons in all the above cases.
 2. The name of the private counsel engaged by the prosecution or the victim or the complainant, if any.
 3. The present status of the proceedings.
 4. The next date fixed disclosing the purpose for which it has been fixed.
 5. The fact whether any order requiring the accused persons to execute bail bonds with sureties for appearance before the higher court as per provisions of Section 437-A Cr.P.C. has been passed? If yes, the date of the order and the date of acceptance bail bonds furnished in compliance of the order.


You are requested to furnish to the undersigned all the above details/particulars, **preferably in a tabular form**, regarding all the Session Trials from Serial No. 1 to 60 as given in the annexed complaint to the undersigned.

Provided that in case any of the above cases listed from Serial No. 1 to 60 has been **fixed for judgment, a separate list** depicting their present status alongwith other details as called for in the directions contained above, may be sent to the undersigned by tomorrow i.e. 23.02.2022. However, the other cases in the list which have not been already **fixed for judgment, a separate list** with all the particulars may be furnished to the undersigned by 28.02.2022.

You are expected to abide by the time frame fixed by me.

**Enclosure:- Copy of complaint
dated 11.02.2022**

Sincerely yours,


(Jyotsna Sharma)

**Shri Vimal Prakash Arya,
A.D.J./F.T.C. (14th F.C.)
Jhansi**

प्रेषक:-

सन्तोष कुमार दोहरे,
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
पदस्थ-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी
मो0: 9415502206

प्रतिष्ठा में,

सम्माननीया सत्र न्यायाधीश महोदया,
झांसी।

विषय: अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण महत्वपूर्ण सत्र परीक्षणों को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सम्माननीय महोदया,

निवेदन है कि मैं सन्तोष कुमार दोहरे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11 झांसी के पद पर कार्यरत हूँ। इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या पूर्णतया भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके सम्बन्ध में कई अधिवक्ताओं में उनकी शिकायत महोदया के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में की है। मैंने भी श्री विमल प्रकाश आर्या के भ्रष्टाचार की शिकायत महोदया सहित मा0 रजिस्ट्रार जनरल, मा0 प्रशासनिक न्यायमूर्ति, मा0 विशेष अधिकारी बिजीलेन्स मा0 उच्च इलाहाबाद को प्रेषित की। श्री विमल प्रकाश आर्या एक भ्रष्ट रिश्वतबाज अधिकारी है, उन्हें जिन सत्र परीक्षणों में रिश्वत मिल जाती है, उन मुकदमों के अभियुक्तों को वह दोषमुक्त कर देते हैं और जिन सत्र परीक्षणों में उन्हें रिश्वत नहीं मिलती तो वह पूर्ण रूप से पक्षद्रोही मुकदमों में भी अभियुक्तगण को कठोर सजा से दण्डित करने के आदि हो चुके हैं। उनके न्यायालय से महत्वपूर्ण सत्र परीक्षण वापिस मा0 सत्र न्यायालय या अन्य मा0 अपर सत्र न्यायालयों में भेजा आना न्यायहित में है। उक्त सत्र परीक्षणों की सूची निम्न है:-

क्रमांक	एस0टी0 न0	नाम पक्षकार	धारा	थाना
1-	122/18	राज्य बनाम भूपेन्द्र	457,380,411 आई0पी0सी0	पूछ
2-	123/18	राज्य बनाम भूपेन्द्र	457,380,411 आई0पी0सी0	पूछ
3-	124/18	राज्य बनाम भूपेन्द्र	457,380,411 आई0पी0सी0	पूछ
4-	224/17	राज्य बनाम संजू	304 आई0पी0सी0	पूछ
5-	132/14	राज्य बनाम उदय सिंह	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई0पी0सी0	प्रेमनगर
6-	207/16	हरगोविन्द	308 आई0पी0सी0	लहचूरा
7-	244/17	गगन आदि	302 आई0पी0सी0	टोड़ीफतेहपुर

सन्तोष कुमार दोहरे
A.D.G.C. (Ct.)
न्यायालय A.S.J./FTC-II
झांसी (3090)
9415502206

8-	77/18	वद्वेन्द्र सिंह	304बी आई०पी०सी०	बड़ागांव
9-	416/12	मनोज राय आदि	302,201 आई०पी०सी०	बयाना
10-	283/10	मुकेश	307 आई०पी०सी०	प्रेमनगर
11-	284/10	मुकेश	4/25 आर्म्स एक्ट	प्रेमनगर
12-	361/15	महाराज सिंह	307 आई०पी०सी०	एरच
13-	72/19	रूक्सा	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई०पी०सी०	प्रेमनगर
14-	18/19	सचिन	4/5 विस्फोस्टक अधिनियम	रक्सा
15-	415/12	अयोध्या प्रसाद	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई०पी०सी०	मऊरानीपुर
16-	316/17	सुनील कुमार	306 आई०पी०सी०	बड़ागांव
17-	23/19	रवि परिहार	411,414 आई०पी०सी०	प्रेमनगर
18-	226/02	नासिर खान	307 आई०पी०सी०	कोतवाली
19-	154/16	विजय झां आदि	307 आई०पी०सी०	कोतवाली
20-	153/18	सुनील रायकवार	411,413 आई०पी०सी०	प्रेमनगर
21-	34/15	भैय्यन	308 आई०पी०सी०	बरूआसागर
22-	290/19	भूपेन्द्र उर्फ गोकुल	307 आई०पी०सी०	चिरगांव
23-	291/19	भूपेन्द्र उर्फ गोकुल	3/25 आर्म्स एक्ट	चिरगांव
24-	294/19	राघवेन्द्र राजपूत	3/25 आर्म्स एक्ट	चिरगांव
25-	95/18	प्रकाश कुशवाहा	376,354 आई०पी०सी०	चिरगांव
26-	214/13	गंधर्व सिंह	306 आई०पी०सी०	चिरगांव
27-	260/19	कृष्णकान्त	302,352 आई०पी०सी०	लहचूरा
28-	203/18	चन्द्रशेखर	302 आई०पी०सी०	कोतवाली
29-	366/15	प्रदीप	307 आई०पी०सी०	बड़ागांव
30-	226/18	नरेश श्रीवास	302 आई०पी०सी०	मऊरानीपुर
31-	295/19	हरभजन	308 आई०पी०सी०	चिरगांव
32-	173/18	संदीप	363,366 आई०पी०सी०	मऊरानीपुर
33-	138/12	बॉबी भूरिया	302 आई०पी०सी०	नवाबाद
34-	139/12	बॉबी भूरिया	3/25 आर्म्स एक्ट	नवाबाद
35-	152/19	निजाम खॉं	302 आई०पी०सी०	नवाबाद
36-	86/19	बृजेश पाल	307 आई०पी०सी०	रक्सा
37-	213/17	जगदीश	308 आई०पी०सी०	मौठ
38-	168/13	मनमोहन	307 आई०पी०सी०	नवाबाद
39-	120/18	धीरज कल्लू	376 आई०पी०सी०	मौठ
40-	15/19	मोहन कल्लू	302,201 आई०पी०सी०	बड़ागांव
41-	333/17	हरेन्द्र	304बी आई०पी०सी०	कटेरा
42-	54/18	मदन अहिरवार	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई०पी०सी०	बरूआसागर
43-	202/15	लालाराम	302 आई०पी०सी०	उल्दन
44-	288/15	जय सिंह आदि	302 आई०पी०सी०	नवाबाद
45-	289/15	जय सिंह	25 आर्म्स एक्ट	नवाबाद

सन्तोष कुमार दोहरे
A.D.G.C. (Ch.)
न्यायालय A.S.J./FIC-II
बाँसी (3090) ..

46-	290/15	राजू बाबा	25 आर्म्स	नवाबद
47-	291/15	रवि	25 आर्म्स	नवाबद
48-	292/15	बलवीर	25 आर्म्स	नवाबद
49-	293/15	रंजीत	25 आर्म्स	नवाबद
50-	103/18	नन्दू उर्फ नन्दकिशोर	307 आई0पी0सी0	पगौडा
51-	104/18	नन्दू उर्फ नन्दकिशोर	25 आर्म्स एकट	पगौडा
52-	99/18	अर्जुन बाल्मीक	304बी आई0पी0सी0	कोलवाली
53-	326/15	रोबिन वर्मा	308 आई0पी0सी0	नवाबद
54-	290/13	संध्या	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई0पी0सी0	बरुआसागर
55-	90/19	महबूब	306 आई0पी0सी0	बरुआसागर
56-	186/11	छत्रपाल	302,201 आई0पी0सी0	सीपरी बाजार
57-	147/13	मीरा कबूतरी	60 आबकारी अधिनियम व 272 आई0पी0सी0	बरुआसागर
58-	67/16	हिम्मत बरार	306 आई0पी0सी0	मोट
59-	297/16	दीपक चौधरी	304बी आई0पी0सी0	महिला थाना
60-	78/19	भालू बलराम	302 आई0पी0सी0	टहरौली

महोदया, उक्त समस्त प्रकरण ब्यान मुल्जिम 313/सफाई साक्ष्य/बहस/निर्णय में नियत हैं। पीठासीन अधिकारी इन मुकदमों पर निगाह रखे हैं जिनमें पैसे मिल जायेंगे उन्हें छोड़ देंगे जिसमें नहीं मिलेगे उनमें सजा कर देंगे। न्याय व साम्यता के हित में उक्त सत्र परीक्षण अपनी प्रशासनिक शक्तियों के आधार पर मा0 सत्र न्यायालय/अन्य मा0 अपर सत्र न्यायालयों में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें। अति कृपा होगी।

भवदीय

(Signature)

सन्तोष कुमार दोहरे,

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

पदस्थ-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11, झांसी

मो: 9415502206

सन्तोष कुमार दोहरे

A.D.G.C. (Cr.)

न्यायालय A.S.J./FTC-II

झांसी (उ0प्र0)

मो-9415502206

नयाबाद
बाद
द

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में श्रीमान.जनपद न्यायाधीश
झाँसी।

विषय : अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं० 11/ D. J. / 2022 दिनांकित 22. 02. 2022 के सम्बन्ध में।
महोदया

सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी के द्वारा प्रेषित उपरोक्त अर्द्ध शासकीय पत्रांक
दिनांक 22. 02. 2022 के अनुपालन में मेरे द्वारा अपने कार्यालय लिपिक से आख्या तलब की गयी।
लिपिक द्वारा तैयार आख्या मेरे द्वारा अग्रसारित कर मूल रूप से सादर प्रेषित की जा रही है।

सादर तसल्ली

भवदीय

03.03.2022

दिनांक: 03. 03. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

नोट: दिनांक 03. 03. 2022 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर बन्द लिफाफे में भिजवाया गया।

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / (F. T. C.)
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) झांसी ।

विषय:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश झांसी द्वारा संलग्न सूची में वर्णित पत्रावलियों के बावत अपने अदेश दिनांक 22.02.2022 के मांगे गये नोटिस के अनुपालन में स्पष्टीकरण देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सादर ससम्मान निवेदन करना है कि उपर्युक्त पत्रावलियों का विवरण निम्नवत है

Sr n.	ST No.	Party name	U/S	PS	Accused Adv.	Victim Adv.	File Stage	Purpose of Next Date	437 A CRP C
1	103/2018	Nandu Alias Nandkishor others	307 IPC	Garotha	Kailash Chandra Agarwal	ADGC	argument	argument On date 23.2.22	-
2	104/18	Nandu Alias Nandkishor others	3/25 arms Act	Garotha	Kailash Chandra Agarwal	ADGC	argument	argument On date 23.2.22	-
3	132/14	Uday Singh	60 Ex. Act 272 IPC	Premnagar	Shersingh	ADGC	argument	argument On date 25.2.22	-
4	207/16	Hargovind	308 IPC	Lehchura	Ashok Kumar Nayak	ADGC	argument	argument On date 23.2.22	-
5	226/02	Naseer and others	307 IPC	Kotwali	1. Ameer uddin 2. Shankarlal	pawan kumar Ojha	argument	argument On date 23.2.22	-
6	216/17	Sanju and others	304 IPC	Punch	1. Vinay Shivhare 2. Chandrabhan Aadim	ADGC	argument	Argument On date 28.2.22	-
7	214/13	Gandarv and others	306 IPC	Chirgaon	1. Veer singh Yadav 2. Sanjay Dev Sharma 3. Uday Rajpoot	ADGC	argument	Argument On date 07.3.22	-

8	153/18	Sunil Raekwar others	41,41 1,414 IPC	Premnagar	1. Mahesh Chandra Imelia 2. Badri Prasad Rajpoot	ADGC	argument	Argument Or, date 24.2.22	437 CrP C 4.2.2 2
9	168/13	manmohan	307,3 23,50 4 IPC	Nwabad	Shankar singh yadav	Madhu ri saran	F.O	22.3.22	-
10	77/18	<u>Yadvendra singh</u>	498A	Badagaon	Saurav sahu	ADGC	defence Evidence	11.3.22	-
11	416/12	manoj rai	364,3 02,20 1 IPC	Babina	R.R. tiwari	ADGC	defence Evidence	10.3.22	-
12	283/10	mukesh	307,3 23,50 4,506 IPC	Premnagar	Aizaz khan	ADGC	Evidence	15.3.22	-
13	284/10	Mukesh	4/25 Arms Act	Premnagar	Aizaz khan	ADGC	Evidence	15.3.22	-
14	361/15	Maharaj Singh	307,5 04,50 6 IPC	Erach	Shersingh	ADGC	Evidence	10.3.22	-
15	72/19	Ruksha	60ex Act 272 IPC	premnagar	ravindra singh yadav	ADGC	Argument	08.03.22	
16	18/19	sachin	4/5 Bisph otak Act	raksha	arun kumar dixit	ADGC	Evidence	07.03.22	
17	415/12	Ayodhya Prasad	60Ex Act	mauranipur	VK Rajpoot	ADGC	Defence evidence	09.03.22	
18	316/17	Sunil Kumar							
19	23/19	Ravi Parihar	411,4 14,41 IPC	premnagar	ND Gautam	ADGC	Evidence	10.03.22	
20	34/15	Bayyan And others	308,5 04,50 6 IPC	Baruasagar	vivek bajpeyi	ADGC	Argument	10.03.22	
21	290/19	Bhupendra alias gokul	307,5 04,50 6 IPC	Chirgaon	Badri prasad rajpoot	ADGC	Defence evidence	10.03.22	

		alias gokul	04,50 6 IPC		prasad rajpoot		evidence	
22	291/19	Bhupendra alias gokul	3/25 Arms Act	Chirgaon	Badri prasad rajpoot	ADGC	Defence evidence	10.03.22
23	294/19	Raghvendra Rajpoot	3/25 Arms Act	Chirgaon	Badri prasad rajpoot	ADGC	Defence evidence	10.03.22
24	95/18	Prakash Kushwaha	376 IPC	Chirgaon	Mahaveer sharan	ADGC	Evidence	08.3.22
25	260/19	Krishkant	147,1 48,30 2,352 IPC	Lehchura	jaydeep Mishra	ADGC	Evidence	15.3.22
26	203/18	Chandrashe khar	302 IPC	Kotwali	Accused advt Manmohan Srivastava	ADGC	Evidence	11.03.22
27	366/15	pradeep	147.1 48.14 9.352. 307.3 23.33 2.353. 506 IPC, 4/21	Badagaon	sahurav shau	ADGC	Argument	05.03.22
28	226/18	Naresh Srivash	302,3 07IP C	Mauranip ur	Ravikant shrivastav	ADGC	Evidence	10.03.22
29	295/19	Harbhajan	308,3 32,35 3,504 IPC	Chirgaon	Vishesh chand pathakr	ADGC	Evidence	05.03.22
30	173/18	Sandeep	363,3 66 IPC	Mauranip ur	Jagpal Singh	ADGC	Evidence	14.3.22
31	138/12	Bobby Bhuriya	302,2 01 IPC 7 CLA Act	Nawabad	B.P. Tiwari	ADGC	Evidence	15.3.22
32	139/12	Bobby Bhuriya	3/25 Arms Act	Nawabad	B.P. Tiwari	ADGC	Evidence	15.3.22
33	152/19	Nizam Khan	302 IPC	Nawabad	Accussed adt. Ashok	ADGC	Evidence	10.3.22

					kumar pateria				
34	86/19	Brajesh pal	147,1 48,14 9,307, 332,3 36,35 3,504, 323,4 27,4,2 1,7	Raksa	Omprakas h rajpoot	ADGC	Evidence	16.03.22	
35	213/17	jagdeesh	148,1 49,30 8,452, 323,5 04,50 6 IPC	Samthar	Devi Sing	ADGC	Evidence	08.3.22	
36	120/18	Dheeraj kallu	452,5 06,37 6IPC	Moth	Hemantra kumar yogi	ADGC	Evidence	04.03.22	
37	15/19	Mohan kallu	302,2 01 IPC	Badagaon	Shankar singh	ADGC	Attandenc e	11.03.22	
38	333/17	Harendra	498,3 04 IPC	Katera	Badriprasa d	ADGC	313 Statement	14.03.22	
39	54/18	Madan Ahirwar	272IP C, 60Ex act	Baruasag ar	Vishal soni	ADGC	Evidence	11.03.22	
40	202/15	Lalaram	302 IPC	Uldan	Pawan kumar	ADGC	Evidence	10.03.22	
41	288/15	Jaysingh And others	147,1 48,14 9 IPC	nawabad	mahendra kumar	ADGC	Evidence	08.03.22	
42	289/15	Jaysingh	3/25A rm Act	nawabad	mahendra kumar	ADGC	Evidence	08.03.22	
43	290/15	raju Babu	3/25A rm Act	nawabad	Anil Mishra	ADGC	Evidence	08.03.22	
44	291/15	Ravi	3/25A rm Act	nawabad	Ajay kumar Khre	ADGC	Evidence	08.03.22	
45	292/15	Balveer	3/25A rm Act	nawabad	Ajay kumar Khre	ADGC	Evidence	08.03.22	

(18/11)

	293/15	Ranjeet	3/25A rm Act	nawabad	Aminuddin	ADGC	Evidence	08.03.22	60
47	99/18	Arjun Valmik	498,3 04,3/4 DP Act	Kotwali	Kumar Bhevabh	ADGC	Evidence	26.03.22	
48	326/15	Rovin Verma	323,5 04,30 8 IPC	nawabad	Nirpat singh	ADGC	Evidence	07.03.22	
49	290/13	Sandhya	60 Ex. Act, 272 IPC	Barausag ar	Shivprakas h Singh	ADGC	313 Statement	03.3.22	
50	90/19	Mehboob	306 IPC	Barausag ar	Ghyanendr a Tiwari	ADGC	Evidence	11.03.22	
51	186/11	Chatrapal	302, 201 IPC	sipri bajar	Arun kumar shirvastav	ADGC	Evidence	15.03.22	
52	147/13	Meera Kabutri					transfer to ADJ-4 DJ order date 23.11.202 1		AD -4 16. 3.2 22
53	67/16	Himmat Brar	306,5 04 IPC	Moth	Sazid Ali,	ADGC	Evidence	07.03.22	
54	297/16	Deepak Chaudary Others	498A, 304B, 328, 506 IPC	Mahila thana	Shivpratap Verma	ADGC	Defence Evidence	16.3.21	-
55	78/19	Bhalu Balram	302 IPC	Tehroli	Ashok kumar shukla	ADGC	Defence Evidence	16.3.21	
56	244/17	Gagan	452,3 02,50 4 IPC	Todifateh pur	vanmali verma	ADGC	Defence Evidence	09.03.22	
57	122/18	Bhoopendra	457,3 80,41 1 IPC	poonch	Badri rajpoot	ADGC	defence evidence	16.03.22	
58	123/18	Bhoopendra	457,3 80,41 1 IPC	poonch	Badri rajpoot	ADGC	defence evidence	16.03.22	
59	124/18	Bhoopendra	457,3 80,41	poonch	Badri rajpoot	ADGC	defence evidence	16.03.22	

18/15

	293/15	Ranjeet	3/25A rm Act	nawabad	Aminuddin	ADGC	Evidence	08.03.22	15 6
47	99/18	Arjun Valmik	498,3 04,3/4 DP Act	Kotwali	Kumar Bhevabh	ADGC	Evidence	26.03.22	
48	326/15	Rovin Verma	323,5 04,30 8 IPC	nawabad	Nirpat singh	ADGC	Evidence	07.03.22	
49	290/13	Sandhya	60 Ex. Act, 272 IPC	Barausag ar	Shivprakas h Singh	ADGC	313 Statement	03.3.22	
50	90/19	Mehboob	306 IPC	Barausag ar	Ghyanendr a Tiwari	ADGC	Evidence	11.03.22	
51	186/11	Chatrapal	302, 201 IPC	sipri bajar	Arun kumar shirvastav	ADGC	Evidence	15.03.22	
52	147/13	Meera Kabutri					transfer to ADJ-4 DJ order date 23.11.202 1		ADJ -4 16.0 3.20 22
53	67/16	Himmat Brar	306,5 04 IPC	Moth	Sazid Ali,	ADGC	Evidence	07.03.22	
54	297/16	Deepak Chaudary Others	498A, 304B, 328, 506 IPC	Mahila thana	Shivpratap Verma	ADGC	Defence Evidence	16.3.21	
55	78/19	Bhalu Balram	302 IPC	Tehroli	Ashok kumar shukla	ADGC	Defence Evidence	16.3.21	
56	244/17	Gagan	452,3 02,50 4 IPC	Todifateh pur	vanmali verma	ADGC	Defence Evidence	09.03.22	
57	122/18	Bhoopendra	457,3 80,41 1 IPC	poonch	Badri rajpoot	ADGC	defence evidence	16.03.22	
58	123/18	Bhoopendra	457,3 80,41 1 IPC	poonch	Badri rajpoot	ADGC	defence evidence	16.03.22	
59	124/18	Bhoopendra	457,3 80,41	poonch	Badri rajpoot	ADGC	defence evidence	16.03.22	

60	154/201 6	vijay othr	jha	1 IPC 307 ipc	kotwali	ravi sharma	ADGC	defence evidence	15.03.22
----	--------------	---------------	-----	---------------------	---------	----------------	------	---------------------	----------

श्रीमान जी को स्पष्टीकरण सादर प्रेषित ।

दिनांक- 03.03.2022

प्रार्थी
23/3/22

(मनोज कुमार साहू द्वितीय)

(वरिष्ठ लिपिक)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / (F. T. C.)

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) झांसी ।

03.03.2022

Arwarded

03.03.2022

ADJ FTC 14th F.C

R

न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, झांसी।

स्थानान्तरण प्रा० पत्र सं०— 68 सन् 2022

- 1- राकेश कुशवाहा पुत्र स्व० दयाराम उम्र लगभग— 48 वर्ष
- 2- लखन कुशवाहा पुत्र स्व० दयाराम उम्र लगभग— 40 वर्ष
- 3- श्रीमती गनेशी पत्नी स्व० दयाराम उम्र लगभग— 85 वर्ष

समस्त निवासीगण— नई बस्ती बरूआसागर थाना—बरूआसागर जिला झांसी।

बनाम्

उत्तर प्रदेश सरकार

अन्त० धारा— 4989ए, 306,323,504,506 आई०पी०सी०

व 3/4 डी०पी०एक्ट

थाना— महिला थाना झांसी।

एस०टी०नं०— 165/2013



विवरण पत्रावली

न्यायालय ए०डी०जे०/एफ०टी०सी०(14— एफ०सी०) झांसी।

एस०टी०नं०— 165 सन् 2013

सरकार(सावित्री) बनाम् राकेश कुशवाहा आदि

अ०धारा— 4989ए, 306,323,504,506 आई०पी०सी०

व 3/4 डी०पी०एक्ट

थाना— महिला थाना झांसी।

ता०पेशी— 16/02/2022

अपेक्षा 10/2/22
प्रकीर्णित करने के लिए रजिस्टर है।
संबंधित न्यायालय से Para wise कार्य
/ Comments लेखें। वास्तु प्रमाण
दिनांक 16/2/22 के लिए है।
S.J.

Copy or order forwarded to... ADJ FTC 14th F.C
for information & Necessary Action

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा— 408 जा०फौ० :-

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि उपरोक्त पत्रावली न्यायालय ए०डी०जे० / एफ०टी०सी०(14—एफ०सी०) झांसी में विचाराधीन है और पत्रावली वास्ते बहस दिनांक— 16/02/2022 नियत है।

By Order
Sadar Munsarim/Sessions Clerk
Sessions Judge
Jhansi (U.P.)
10/2/22

यह कि उपरोक्त मुकदमें में ~~दिनांक- 06/02/2021~~ को अभियुक्तगण के 313 सीआर0पी0सी0 के ब्यान अंकित होने के बाद पत्रावली बहस में नियत हुई इसी दौरान उक्त न्यायालय में पदस्थ वर्तमान शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यदि उक्त मुकदमें में अभियुक्तगण को बरी होना है तो पीठासीन अधिकारी की मांग की पूर्ति करना होगी अन्यथा उक्त मुकदमें में गवाह Hostile होने के बावजूद भी सजा को तैयार रहना उक्त कारण से न्याय मिलने में संदेह पैदा हो गया। यह कि उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली से अत्यधिक व्यथित व परेशान है।

यह कि उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उक्त मुकदमें में उक्त कारण से न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है।

प्रार्थना

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि न्यायहित में उक्त मुकदमें की पत्रावली स्वयं के न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने किये जाने का आदेश पारित किये जाने की कृपा की जाये। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

~~दिनांक:- 09/02/2022~~

प्रार्थी/अभियुक्तगण



- 1- राकेश कुशवाहा पुत्र स्व0 दयाराम कुशवाहा
 - 2- लखन कुशवाहा पुत्र स्व0 दयाराम कुशवाहा
 - 3- श्रीमती गनेशी बाई पत्नी स्व0 दयाराम कुशवाहा
- समस्त निवासीगण- नई बस्ती बरुआसागर,
थाना-बरुआसागर जिला झांसी।
जरिये अधिवक्ता-

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया,
झाँसी।

विषय:- स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सं०- 68/ 2022 (S. T. No- 165/ 13 उ०प्र०
राज्य सरकार बनाम राकेश कुशवाहा आदि) दिनांकित 09. 02. 2022 के
संबंध में आख्या।

महोदया


अवगत कराना है कि अभियुक्तगण अपने स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उक्त पत्रावली में दिनांक 06. 02. 2021 को अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये और इस समय पत्रावली बहस के स्तर पर है और वह न्यायालय के कार्य प्रणाली से अत्याधिक व्यस्थित व परेशान है और उसे न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख करना है कि पत्रावली दिनांक 18. 08. 2021 से बहस हेतु नियत है और इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा दिनांक 19. 08. 2021 को प्रार्थनापत्र 142B प्रस्तुत किया जो उसी तिथि पर निस्तारित किया गया। दिनांक 12. 11. 2021 को अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र 159B प्रस्तुत किया जो इसी तिथि पर निस्तारित किया गया और पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

पत्रावली दिनांक 18. 08. 2021 से भिन्न- भिन्न तिथियों पर बहस हेतु नियत होती रही, किन्तु अभियुक्तगण की ओर से कभी न्यायालय की कार्य प्रणाली पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया और न ही कोई स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र इस बावत प्रस्तुत किया गया। उक्त अभियुक्तगण को लगभग 01 वर्ष तक न्यायालय पर विश्वास बना रहा और सिर्फ और सिर्फ श्री सन्तोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा भड़काये व उकसाये जाने पर ही उक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सूचना सादर ससम्मान प्रेषित।

भवदीय


11.02.2022
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 11. 02. 2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी ।

f.c
115A

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र सं०-

68 /2022

राकेश कुशवाहा बनाम उ०प्र० सरकार

धारा- 408 सी.आर.पी.सी.

थाना- महिला थाना जिला झाँसी

T.K.L.

23.02.2022

Called out.

The counsel for the applicant is present.

This transfer application has been moved by the applicants on the ground that he strongly suspected that a fair judgment shall not be passed against him in the light of allegations made by him in the transfer application. The advocate also pointed out that presently a protest against the court/P.O. concerned is going on in the Civil Court Campus against corrupt practices being adopted by him.

Without going into the truthfulness of the allegations made by the applicant, I find it fit to transfer this case in the prevailing atmosphere to another court.

S.T. No. 165/2013, State Vs. Rakesh Kushwaha & Ors., pending in the Court of ASJ/F.T.C. (14th F.C.) is transferred to the Court of A.S.J. Court No. 4, for disposal in accordance with law.



(Jyotsna Sharma)
Sessions Judge,
Jhansi.

Copy or order forwarded to ASJ/F.T.C. 14th F.C.
for information & Necessary Action

By Order
Sadar Munsif/ Sessions Clerk
Sessions Judge
Jhansi (U.P.)

RECEIVED

शतक मुन्सरीम
10/12/22

न्यायालय श्रीमान जिला जज महोदय झांसी

फौजवारी स्थानान्तरण प्रा0प0सं0 82 सन 2022

सन्जु पुत्र स्व0 सुरेश पाल निवासी ग्राम बाबई थाना पूछ जिला झांसी।

--- प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राज्य सरकार जरिये डी0जी0सी0 क्रिमिनल

प्रार्थनापत्र अं0धारा-408 सी0आर0पी0सी0

श्रीमान जी,

प्रार्थी / अभियुक्त निम्नलिखित निवेदन करते हैं:-

1. यह कि प्रार्थी / अभियुक्त का एक वाद न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0-11 झांसी एस0टी0 नं0-216/17 राज्य बनाम संजू आदि अं0धारा-304 आई0पी0सी0 थाना पूछ मु0अ0सं0-101/2017 लम्बित है जिसमें दिनांक 28.02.2022 लिखित बहस बचाव पक्ष नियत है।
2. यह कि प्रार्थी / अभियुक्त को उसके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0-11 झांसी के न्यायालय में कार्यरत सहायक शासकीय अधिवक्ता सन्तोष दोहरे द्वारा बताया गया कि मुझे माननीय न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्या द्वारा आपको सूचना हेतु बताया गया कि अभियुक्तगणों को उपरोक्त प्रकरण में दोषमुक्त होना है तो सहायक शासकीय अधिवक्ता सन्तोष दोहरे के माध्यम से 5,00,000/-रु0 दिलवाओ अन्यथा सभी



न्यायाधीश 24/12/22
कोषीय न्यायालय से अर्जेंट न्याय
हो। अर्जेंट न्यायालय जिला
11.3.22 को पर। टी।

गवाह पक्षद्रोही होने के बावजूद भी मैं इस मुकदमें में सजा कर दूंगा।

Copy of order forwarded to ADD FTE 14 P.C
for information & Necessary Action

By Order
Sadar Munsarim/Sessions Clerk
Sessions Judge
Jhansi (U.P.)

4/1

(1/67)

3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को उक्त समस्त तथ्यों से अवगत कराया गया। पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा कही गयी उक्त बात से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11 झांसी के न्यायालय श्रीमान अथवा अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे कि प्रार्थी/अभियुक्त को न्याय मिल सके।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-11 झांसी के यहां विचाराधीन प्रकरण एस0टी0 नं0-216/17 राज्य बनाम सन्जू आदि अं0धारा-304 आई0पी0सी0 थाना पूछ मु0अ0सं0-101/2017 को श्रीमान अथवा अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरण किये जाने की कृपा करें जिससे कि प्रार्थी को न्याय मिल सके।



दिनांक: 22.02.2022

प्रार्थी

सन्जू

सन्जू पुत्र स्व0 सुरेश पाल
निवासी ग्राम बाबई थाना पूछ जिला झांसी।

Jabalpur
by me

4/2

चन्द्रभान आदिम, एडवोकेट
रजि0 नं0-1263/09
एडवोकेट कोड-1093
मो0 नं0-9415194203

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झाँसी।

विषय:- स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सं०- 82/ 2022 S. T. No- 216/ 17 संजू
बनाम राज्य सरकार जरिये DGC. (CrI.) दिनांकित 09. 02. 2022
के संबंध में आख्या।


महोदया

अवगत कराना है कि अभियुक्त ने अपने स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में स्वयं यह स्वीकार किया है कि " उसके अधिवक्ता द्वारा बताया कि न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०- 2 झाँसी के कार्यालय में कार्यरत सहायक शासकीय अधिवक्ता सन्तोष दोहरे द्वारा बताया गया कि उसे माननीय न्यायाधीश द्वारा आपको सूचित करने हेतु बताया गया कि अभियुक्तगणों को उपरोक्त प्रकरण में दोषमुक्त होना है तो सहायक शासकीय अधिवक्ता सन्तोष दोहरे के माध्यम से 5,00,000/- रुपये दिलवाओ अन्यथा सभी गवाह पक्षद्रोही होने के बावजूद भी इस मुकदमे में सजा हो जायेगी। "

चूँकि मेरे द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सन्तोष दोहरे के कार्य, व्यवहार व आचरण के बारे में श्रीमान जिलाधिकारी झाँसी व जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) झाँसी को अपने पत्र दिनांकित 07. 02. 2022 व अन्य पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सन्तोष दोहरे एक बेईमान व दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो पीठासीन अधिकारी के नाम पर पक्षकारों से धन ऐठने का कार्य करता है और उसके द्वारा पूर्व में कुछ न्यायिक अधिकारीगण की झूठी शिकायत भी की गयी थी।

उक्त पत्रावली दिनांक 28. 01. 2022 से बहस हेतु नियत है। अभियुक्त ने कभी स्वयं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया बल्कि बेईमान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सन्तोष दोहरे के कहने पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सन्तोष कुमार दोहरे को भी संरक्षण प्राप्त है और उसी संरक्षण के अधीन इस प्रकार की झूठी शिकायत करायी जा रही है और पत्रावलियाँ स्थानान्तरित कराने का जो प्रचलन माह फरवरी 2022 में प्रारम्भ हुआ है इस प्रकार का प्रचलन पूर्व में कभी नहीं


4/3



रहा और न ही किसी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किया गया। मेरे न्यायालय से बहस की पत्रावलियों को स्थानान्तरित कराने का इस प्रकार बढावा कभी पूर्व में नहीं मिला। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अभियुक्त को दोषमुक्त कराने के उद्देश्य से ही पत्रावली स्थानान्तरित करायी जा रही है।

आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय



(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 25. 02. 2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झांसी

स्थानान्तरण प्रा०प्रा०सं० - 102 सन् 2022

- 1- हरगोविन्द पुत्र मनीराम उम्र करीब 53 वर्ष नि०- ग्राम हेततपुरा थाना पसेरा
जिला झांसी उ०प्रा०।
- 2- देवीदयाल पुत्र श्री गुरु दयाल उम्र करीब 47 वर्ष नि०- ग्राम बरौटा थाना
लहचूरा जिला झांसी उ०प्रा०।

जुद्धल आदेश 11/3/22

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा - 408 जा०फ्रा०

थाना - लहचूरा जिला झांसी

प्रकीर्ण अद के रूप में
रजिस्ट्रार को स्वीकार न्यायालय
के पत्र प्राप्त करके तब ही
पत्रावली वास्तु मिस्तारण दिनांक
16-3-22 को पेश हो

उन्मान पत्रावली

न्यायालय श्रीमान् एफ०टी०सी० द्वितीय महोदय झांसी

एस०टी०सं०-207 सन् 2016

सरकार बनाम हरगोविन्द आदि

धारा-307,504,506 ता०हि०

थाना- लहचूरा जिला झांसी

ता०पेशी-10-03-2022

Copy or order forwarded to... ASJ/FIC 14/4
for information & Necessary Action F.C.

By Order

11/3/22

Sadar Munsif in Sessions Clerk
Sessions Judge
Jaansi (U.P.)

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र

महोदय,

- 1- यह कि प्रकरण उपरोक्त न्यायालय श्रीमान् एफ०टी०सी० द्वितीय के यहाँ विचाराधीन
बहस में नियत है इसी दौरान उक्त न्यायालय में तत्कालीन पदस्थ शासकीय अधिवक्ता
सन्तोष कुमार दोहरे द्वारा बताया गया कि यदि उक्त मुकद्दमें में अभियुक्तगण को बरी होना
तो पीठासीन अधिकारी की माग की पूर्ति करनी होगी। अन्यथा उक्त मुकद्दमें में गवाह पक्षदायी
होने के बावजूद भी सजा को तैयार रहना उक्त कारण से न्याय मिलने में संन्देह पैदा हो गया
यह कि शासकीय अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार दोहरे द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश
आर्या के भ्रष्टचार के सम्बन्ध में श्रीमान सत्र न्यायाधीश झांसी एवं मा० उच्च न्यायालय
इलाहाबाद के समस्त उच्चधिकारियों से की गई है उक्त शिकायतें विचाराधीन हैं।

- 3- यह कि उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली से उक्त मुकद्दमें के अभियुक्त
अत्याधिक व्यथित व परेशान हैं।

- 4- यह कि अन्य अधिवक्ताओं द्वारा पूर्व में भी पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या के
कृत्यों की शिकायत मा० सत्र न्यायाधीश झांसी एवं मा० उच्च न्यायालय को की गई थी तथा

हरगोविन्द

(6/1)


देवीदयाल



शिकायतों का संज्ञान लेकर मा० न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मा० सत्र न्यायाधीश जनपद ललितपुर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया है।

5- यह कि उक्त न्यायालय के पीठारसीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या जी से उक्त समस्त कारणों के चलते मुकदमें में न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त आधारों को पर्याप्त मान न्यायहित में उक्त मुकदमें की पत्रावली एस०टी०सं०- 207/2018 स्वयं के न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरण किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।



दिनांक 10.03.2022


प्रार्थी / अभियुक्तगण

हरगोविन्द

1- हरगोविन्द पुत्र मनीराम उम्र करीब 53 वर्ष नि०- ग्राम हेवतपुरा थाना गरौठा जिला झांसी उ०प्र०।

देवीदयाल

2- देवीदयाल पुत्र श्री गुरू दयाल उम्र करीब 47 वर्ष नि०- ग्राम बरौठा थाना लहचूरा जिला झांसी उ०प्र०।


राहुल कुमार
जुज
य०सं०-18711/2021
जिला एवं सत्र न्यायालय, झांसी
फो०-9516367185

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया
झांसी।

विषय:-

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र सं०-102/2022 (S. T. No-207/16 राज्य
बनाम हरगोविन्द आदि) हरगोविन्द आदि बनाम उ०प्र० सरकार दिनांकित
10.03.2022 के संबंध में आख्या।

महोदया

ससम्मान अवगत कराना है कि स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र आज दि० 22.03.2022 को मेरे समक्ष कार्यालय लिपिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण ने अपने स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में स्वरूप यह स्वीकार किया है कि उक्त पत्रावली बहस हेतु नियत है और सन्तोष कुमार दोहरे तत्कालीन पक्ष शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यदि उन्हें बरी होना है तो उन्हें पी०ओ० की माँग की पूर्ति करनी होगी अन्यथा गवाह के पक्षद्रोही होने के बावजूद भी सजा को तैयार रहना होगा। इस कारण से उसे न्याय मिलने में संदेह पैदा हो गया है।


महोदया यह भी अवगत कराना है कि उक्त पत्रावली दिनांक 08.11.2021, 12.11.2021, 26.11.2021, 03.12.2021, 10.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 11.01.2022, 20.01.2022, 02.02.2022, 14.02.2022, 23.03.2022, 10.03.2022 को वास्ते बहस नियत की गयी, किन्तु अभी तक उक्त पत्रावली में बहस नहीं हुई है, जिसमें तिथि 24.03.2022 वास्ते बहस नियत है। लगभग 05 माह तक अभियुक्तगण के मन में न्यायालय के प्रति कभी संदेह नहीं हुआ, केवल सन्तोष कुमार दोहरे ADGC (Criminal) के दुष्प्रचार करने व अभियुक्तगण से अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करवाया गया है।

महोदया यह भी अवगत कराना है कि अभियुक्तगण दोषमुक्त होना चाहते हैं और दोषमुक्त होने के लिये ही उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। चूँकि अभियुक्तगण, सन्तोष कुमार दोहरे ADGC (Criminal) की सलाह के आधार पर दोषमुक्त होना चाहते हैं। अतः उक्त पत्रावली किसी भी न्यायालय में अन्तर्गत किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

आख्या सादर प्रेषित।

दिनांक: 22.03.2022

भवदीय


22.03.2022
(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

Sir,
Received Copy at 3:35 pm
11/6/2022

(6/3)